सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 19 राँची, गुरुवार, 22 जनवरी, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

22 जनवरी, 2026

विषयः- झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 03 (तीन) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में ।

संचिका सं0-01/मु०स्था०-30/2025-131/रा०--झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत W.P.(S) No. 1329/2018 प्रकाश प्रसाद मेहता एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा W.P.(S) No. 3116/2021 गणेश प्रसाद बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-04.09.2023 को पारित न्यायादेश से आच्छादित एवं बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत निम्नलिखित 03 (तीन) कर्मियों को उनके सम्मुख पद एवं वेतनमान पर सेवा नियमित करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता हैः-

क्र.	नाम	पदनाम	स्वीकृत वेतनमान
01.	श्री प्रकाश प्रसाद मेहता	परिमाप निरीक्षक	5200-20200, ग्रेड पे-2400, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल- IV
02.	श्री गणेश प्रसाद	सर्वेयर	5200-20200, ग्रेड पे-2400, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल- IV
03.	मो0 ऐनुल अंसारी	मुंसरिम	5200-20200, ग्रेड पे-1900, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल- II

2. उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मियों की सेवा नियमितीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः-

I उक्त कार्रवाई मात्र एक समव्यवहार (One time measure) के लिए की जायेगी एवं इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा ।

II उपर्युक्त कर्मियों को नियमितीकरण के लाभ नियमित नियुक्ति की तिथि से देय होंगे ।

III उपर्युक्त कर्मियों को योगदान देने की तिथि से वास्तविक वित्तीय एवं अन्य सुविधा देय होगा ।

IV योगदान की तिथि से अगले दो वर्षों अथवा प्रमाण-पत्रों की जाँच होने (जो बाद में हो) तक इनकी सेवा परिवीक्षा (Probation) पर होगी ।

V उपर्युक्त कर्मियों की सेवा झारखण्ड सरकार द्वारा गठित सुसंगत नियमावली के अधीन होगी ।

VI उपायुक्त, हजारीबाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1348, दिनांक-13.02.2015 एवं उक्त अधिसूचना में अधिसूचना सं0-4871, दिनांक-20.06.2019 तथा झारखण्ड सरकार द्वारा गठित सुसंगत नियमावली के आलोक में उपर्युक्त कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता/अनुभव संबंधी कागजातों की जाँच कर अपने स्तर से संतुष्ट होकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. विभागीय संलेख ज्ञापांक-3682, दिनांक-31.12.2025 के द्वारा झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 03 (तीन) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-09.01.2026 में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 19 - 50